वार्ड नंबर 54 में 15 दिनों से पाइप लाइन फूटी

बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, वार्डवासी परेशान

- प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान
- सड़क पर कीचड़ और फिसलन से बढ़ी परेशानी

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 04 अक्टूबर. शहर के बागसेवनिया क्षेत्र के रेत बाजार के बाहर बीते 15 दिनों से पानी की लाइन टूटी हुई है.

इस कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक सुधार कार्य नहीं करा पाया है. रहवासी उमाशंकर तिवारी का कहना है कि इस समस्या की जानकारी वार्ड नंबर 54, जोन नंबर 13 के अधिकारियों को 24 सितंबर को ही दे दी गई थी. इसके बाद बीते मंगलवार को भी दोबारा शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. एक ओर शहर में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है और पानी बचाने को लेकर जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं, गर्मी और जल संकट के समय बूंद-बूंद पानी के लिए लोग परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी ओर टूटी पाइप लाइन से लगातार पानी व्यर्थ बहना जल संसाधनों की गंभीर बर्बादी है.

> लोगों का कहना है कि पानी की बर्बादी के साथ-साथ लगातार बहते पानी से सड़क पर कीचड़ और फिसलन की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. लोगों का आरोप है कि शिकायतों पर ध्यान न देकर जिम्मेदार विभाग लापरवाही बरत रहे हैं. नागरिकों ने मांग की है कि शीघ्र सुधार कार्य शुरू कराया जाये. अब देखना होगा कि नगर निगम इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेकर कब तक टूटी हुई पानी की लाइन को दुरुस्त कराता है.

भाजपा महिला नेत्री के साथ मारपीट

मंदिर में पूजा करने पर विवाद, पुलिस ने किया केस दर्ज

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 अक्टूबर. राजधानी में एक भाजपा नेत्री के साथ मारपीट कर और उसे सड़क पर घसीटने का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ है. पीड़िता ने गुर्जर परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाजपा नेत्री सकुन शर्मा भाजपा में बिलखारिया मंडल की महामंत्री हैं. सूखी सेवनिया के ओमकारा सेवनिया क्षेत्र में उनके साथ मारपीट की गई. पीड़िता 55 वर्षीय शर्मा ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को देर रात सिद्ध नगर कॉलोनी स्थित मंदिर से जब वह पूजा करने के बाद अपने घर के लिए जा रही थी, तभी गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. मामले की शिकायत पीड़िता नेत्री ने पुलिस में की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के मंदिर में गुर्जर समाज के लोगों ने कथित तौर पर कब्जा किया है. इन लोगों ने ब्राह्मण समाज के लोगों का मंदिर आना जाना प्रतिबंधित कर रखा है.

श्रीमति शर्मा का आरोप है कि जो भी मंदिर में गुर्जर समाज के अलवा अन्य लोग जाते हैं, तो इस समाज के लोग उन्हे पूजा करने से रोकते हैं. तीन दिन पहले भी एक अन्य परिवार के साथ गुर्जर समाज के लोगों द्वारा मार पीट की बात सामने आई है. पुलिस ने भाजपा नेत्री के शिकायत के आधार पर तीन महिलाओं और तीन पुरुषों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है.

एक नजर में

भारत माता पर टिप्पणी के विरोध में सौंपा ज्ञापन

सिलवानी. शनिवार को नगर के सकल हिन्दू समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर सिलवानी थाने पहुंचे जहां उन्होंने भारत माता के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि विदिशा जिले के सिरोंज निवासी असद खान जिलानी ने 2 अक्टूबर 2025 को अपने सोशल मीडिया एक्स पर भारत माता के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है. ज्ञापन में कहा गया कि यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी का अपराध है तथा इससे समाज की धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को गहरी ठेस पहुँची है.

पांच साल से फरार स्थाई वारंटी को पुलिस ने पकड़ा

सलामतपुर. सलामतपुर थाना पुलिस को एक ऐसे फरार स्थाई वारंटी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है, जो पाँच साल से एक्सीडेंट के मामले में फरार था. फरार आरोपी ने कार से जिस मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी, उसके चालक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी ने बताया कि बबलू नाथ पिता जीवन सिंह नाथ उम्र 37 वर्ष निवासी मेढ़की थाना सांची जो दुर्घटना के एक मामले में पांच साल से फरार स्थाई वारंटी था. मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी मेढ़की गांव स्थित अपने घर आया हुआ है. जानकारी मिलते ही एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें थाने के एएसआई राजेश यादव, प्रधान आरक्षक हेत सिंह मीणा और आरक्षक राहुल रघुवंशी शामिल थे. टीम ने गांव में दबिश दी तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर स्थाई वारंटी बबलू नाथ को गिरफ्तार कर लिया.

51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन

विजयादशमी पर हिन्दू उत्सव समिति ने निकाला चल समारोह

मंडीदीप, 4 अक्टूबर. असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व गुरुवार को मंडीदीप में धूमधाम से मनाया गया. श्री हिन्दू उत्सव समिति के तत्वावधान में सतलापुर रोड स्थित दशहरा मैदान पर भव्य रावण के 51 फीट के पुतले का हुआ दहन.

समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह चौहान छुट्टी भैया ने बताया कि इस आयोजन में 25 हजार से अधिक लोग शामिल हुए जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण 45 फीट ऊंचे मेघनाथ, कुंभकरण और 51 फीट के रावण के पुतलों का दहन किया .आयोजन से पूर्व दोपहर 5 बजे वार्ड 23 स्थित मंडी के बाल बिहार मैदान से भव्य चल समारोह निकाला गया. चल समारोह में झांकियों के साथ मलखंभ और अखाड़ा प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे .चल समारोह मंडी से शुरू होकर रेलवे ओवरब्रिज, स्टेशन रोड, मुख्य बाजार, मंगल बाजार, पटेल नगर और हाईवे से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा यहां श्री बाबा रामदेव रामलीला मंडल के कलाकारों द्वारा श्री राम-रावण युद्ध का मंचन किया गया, जिसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम किया गया इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे.

आईटीआई के 22 मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

बैरसिया में दीक्षांत समारोह में मेडल और प्रमाण पत्र दिए

बैरसिया, 4 अक्टूबर. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बैरसिया में दीक्षांत समारोह आयोजित कर मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया.

आई टीआई के प्राचार्य मनोज दुबे ने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित दीक्षांत समारोह से वर्चुअल देश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के मेधावी छात्रों को संबोधित कर सम्मानित किया. इसी कड़ी में बैरसिया आईटीआई में दीक्षांत समारोह आयोजित कर संस्थान के टॉपर पास आउट होने वाले 6 ट्रेड के 22 विद्यार्थियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा जिला महामंत्री कुबेर सिंह गुर्जर ने मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया. प्राचार्य दुबे ने बताया कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के छात्र यश राजपूत सर्वाधिक 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर टॉपर रहे.

समारोह में इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर, मेकेनिकल, वेल्डर, हिंदी स्टेनो सहित अन्य ट्रेड के मेधावी छात्रों को मेडल व प्रमाणपत्र प्रदान किए गए.

> कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुर्जर ने आईटीआई के छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया. इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण सहित स्टॉफ और छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई

मंडीदीप. मंडीदीप शहर कांग्रेस कमेटी मंडीदीप द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गांधी चौक शनिवार मार्केट में उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया. इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी गणेश शर्मा, सुरेश श्रीवास्तव, उधम सिंह पाल , शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष , सुरेश मैना , महाराम अहिरवार , विजयनागर , कैलाश गुप्ता , सुरेंद्र जैन , महाराज सिंह गौर , देवलाल पाल , केदारनाथ पाठक, केवल राम कुल्हारे आदि मौजूद रहे.

करोंदिया में नम आंखों से दी मां दुर्गा को विदाई

बैरसिया, 4 अक्टूबर. करोंदिया में शुक्रवार-शनिवार की रात दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े धूमधाम से हुआ. नवरात्रि में दस दिन भक्तिमय सेवा के बाद भक्तों ने नम आंखों से दुर्गा, काली की प्रतिमाओं का विसर्जन किया.

इसके पहले डीजे अबीर-गुलाल और माता रानी के जयकारों के साथ जुलूस निकला लोगों ने दर्शन कर मां भगवती से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की. करोंदिया तालाब के विसर्जन घाट पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान भक्तों की आंखें भर आईं.

जनपद सदस्य नेतराम लोधी द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं झाँकियों के समिति के पदाधिकारियों को शील्ड, पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में सरपंच विजय शर्मा, भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा, जनपद सदस्य प्रतिनिधि घनश्याम शर्मा, जनपद सदस्य नेतराम लोधी, मंडल अध्यक्ष सुनील जाट, सरल भार्गव, वृन्दावन शर्मा, नरेंद्र गुप्ता, सहायक सचिव ओमप्रकाश बाथम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

कृष्णा डेरी से मावा-पनीर जब्त

- खाद्य विभाग ने की कार्रवाई
- 200 किलोग्राम पनीर संदेहास्पद मिला

भोपाल, 4 अक्टूबर. खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने शनिवार को शहर के प्रमुख खाने-पीने की दुकानों पर कार्रवाई की. शहर के द्वारका नगर स्थित कृष्णा डेरी एंड स्वीट्स पर टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में मावा और पनीर जब्त किया.

टीम को सूचना मिली थी कि फर्म में भारी मात्रा में मावा जमा किया गया. कार्रवाई के दौरान 1510 किलोग्राम मावा और लगभग 200 किलोग्राम पनीर संदेहास्पद पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मावा ग्वालियर एवं धौलपुर से लाया गया था.

टीम ने मंगलवारा क्षेत्र में महेंद्र मावा भंडार से वितरण के लिए ले जाए जा रहे 149 किलोग्राम मावे को भी नमूना लेकर जब्त किया. सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई.

पश्चिम मध्य रेल
उप मुख्य विद्युत अभियंता (प्रोजेक्ट शाखा-भोपाल)
खुली निविदा

उप मुख्य विद्युत अभियंता (प्रोजेक्ट) शाखा - भोपाल, पश्चिम मध्य रेल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु आवेदन निर्धारित निविदा फार्म पर खुली निविदा आमंत्रित करता है। **निविदा सूचना क्रमांकः** BPL-ELP-OHE-T-2025-02, दिनांक 03.10.2025. **कार्य का नाम लोकेशन सहितः पश्चिम मध्य रेल के भोपाल डिवीजन के इटारसी - सुखीसेवनियां सेक्शन में 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1x25 केवी से 2x25 केवी तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। निविदा की कीमतः** ₹ 1072558855.32. **कार्यालय का पता जहां टेन्डर फार्म खरीदी जा सकती है:** उप मुख्य विद्युत अभियंता (प्रोजेक्ट) शाखा–भोपाल। **बयाना राशिः** ₹ 5512800/-. **समापन अवधिः** 18 माह। **निविदा जमा करने की तिथि एवं समयः 15.00 बजे तकः** 30.10.2025, 15.00 Hrs. **स्थान पर तकनीकी बोलियां खोलने का समयः** 30.10.2025, 15.30 Hrs. निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाइट **https://ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। पूर्ण निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

दीपेंद्र पाल बने भाजपा जिला महामंत्री

मंडीदीप, 4 अक्टूबर. रायसेन जिला के बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा शनिवार को शाम को घोषित कर दी गई, जिसमें नगर के तीन कार्यकर्ता जिला महामंत्री, दीपेंद्र पाल, जिला मंत्री सुशील शर्मा, महिला में वार्ड 12 से पार्षद प्रार्थना चौहान को संगठन में जगह मिली है. दीपेंद्र ने जिला कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा का आभार व्यक्त किया. दीपेंद्र पूर्व में युवा मोर्चा प्रदेश कार्यालय मंत्री रह चुके हैं. सुशील ने लगातार 15 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर संगठन को मजबूत किया है.

दो पक्षों में विवाद, दोनों पर केस दर्ज

सिलवानी. थाना क्षेत्र के ग्राम परसिया में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. इस घटना को लेकर शनिवार को दोनों पक्षों ने सिलवानी थाने पहुंचकर आवेदन दिए. पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं. पहले पक्ष के फरियादी यादराम अहिरवार निवासी परसिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी गोविंद राजपूत एवं अज्जू राजपूत निवासी परसिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है. वहीं दूसरे पक्ष के फरियादी रामसिंह राजपूत निवासी परसिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी दिलीप अहिरवार, यादराम अहिरवार एवं कैलाश अहिरवार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है.

पदोन्नति विवाद में समाधान नहीं मध्यस्थता ही सही विकल्प

विशेष संवाददाता

भोपाल, 04 अक्टूबर. मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति का एक दशक से लंबित मामला अब भी चिंता का विषय बना हुआ है.

शनिवार को मंत्रालय सेवा कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आरक्षित और अनारक्षित वर्गों के बीच जारी गतिरोध को ईमानदारी से मध्यस्थता के जरिये आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं की गई. अध्यक्ष का कहना है कि दोनों वर्ग मूलत: एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं और सहमति बन सकती थी. उनका मानना है कि न्यायालय से न्याय तो मिलता है, लेकिन समाधान नहीं, इसलिए मध्यस्थता ही सही विकल्प है. उन्होंने तीन सुझाव दिए—पहला, राज्य प्रशासनिक और अन्य विभागों की तरह समयमान वेतनमान के साथ उच्च पदनाम की व्यवस्था हो; दूसरा, जिन संवर्गों में आरक्षित वर्ग का प्रतिशत 36त्न से अधिक हो चुका है, वहां फिलहाल आरक्षित वर्ग को पदोन्नति न दी जाए; और तीसरा, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग अपने-अपने पदों पर आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक टीम आरक्षित और अनारक्षित वर्ग दोनों से मिलकर बनती है, और आपसी टकराव से सुशासन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता.

पश्चिम मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना, दिनांक 03.10.2025

वरिष्ठ मंडल अभियंता/सम./पश्चिम मध्य रेल भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 15.30 बजे तक ई-टेन्डर आमंत्रित करते है। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी वेबसाईट http:// www.ireps.gov.in. पर उपलब्ध है, एवं मण्डल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। इस टेन्डर के लिए कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। निविदाकारों से निवेदन है, कि वह जीएसटी कानून 2017 के प्रावधानों के अनुसार अपने दर तथा निविदाएं प्रस्तुत करें। **S.N.**-1, **NIT No.:** 25-26-W-16-83, **Date:** 30.09.2025, **Name of work including Location:** भाग ए) शिवपुरी में 2.5 लाख लीटर क्षमता वाले आरसीसी ओवरहेड टैंक का प्रावधान। भाग बी) कुंभराज, चाचौरा बीनागंज, पचोर रोड और सारंगपुर में 4 आरसीसी ओवरहेड टैंक (प्रत्येक 50 केएल क्षमता) का प्रावधान।, **Published cost of tender ₹:** ₹ 3,55,24,234.32, **Earnest Money:** ₹ 3,27,600, **Completion period:** 18 माह, **Last date for submitting tender:** 24.10.2025, **S.N.**-2, **NIT No. :** 25-26-HQ-17-84, **Date:** 01.10.2025, **Name of work including Location:** आरकेएमपी-नई आईओएच साइट आर के एम पी (रानी कमलापति) पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण, **Published cost of tender ₹:** ₹ 1,86,88,293.19, **Earnest Money:** ₹ 2,43,500, **Completion period:** 6 माह, **Last date for submitting tender:** 24.10.2025, **S.N.**-3, **NIT No.:** 25-26-W-17-85, **Date:** 03.10.2025, **Name of work including Location:** भाग अ) शाजापुर-8 बिस्तरों वाले आरपीएफ बैरकों का निर्माण। भाग ब) बियावरा राजगढ़-7 बिस्तरों वाले आरपीएफ बैरकों का निर्माण। भाग स) रुठियाई-मक्सी सेक्शन में 8 गेट लॉज (एलसी संख्या-91, 105, 136, 137, 146, 151, 165, 170 का निर्माण एडीईएन/शाजापुर के अधीन, **Published cost of tender ₹:** ₹ 1,78,79,269.99, **Earnest Money:** ₹ 2,39,400, **Completion period:** 12 माह, **Last date for submitting tender** 27.10.2025

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य)
पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
''मिनी रत्न कम्पनी''
(कोल इंडिया लिमिटेड का उपक्रम)

सूचना

एसईसीएल द्वारा सामग्रियों, कार्यों एवं सेवाओं की खरीद के लिए जारी निविदाऐं एसईसीएल की वेबसाईट http://www.secl-cil.in, कोल इंण्डिया के ई-प्रोक्यूमेंट पोर्टल http://coalindiatenders.nic.in और सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल http://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जीईएम पोर्टल http://gem.gov.in के माध्यम से भी खरीदी का कार्य किया जाता है। एसईसीएल के माईनिंग सर्विसेस की निविदायें भी अब जीईएम पोर्टल http://gem.gov.in पर उपलब्ध हैं।

Uttar Pradesh | UTTAR PRADESH TOURISM

DIRECTORATE OF TOURISM
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Paryatan Bhawan, C-13, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow– 226010, Uttar Pradesh (india)

Expression of Interest (EOI)
for Identification of Applicants for Integrated Development of Land Parcel at Kalli Paschim, Lucknow under Land Lease Policy, 2024

Directorate of Tourism (DoT), Government of Uttar Pradesh, invites Expression of Interest (EOI) for Identification of Applicants for Integrated Development of Land Parcel at **Kalli Paschim, Lucknow**
Interested parties may download EOI document from e-tender website **http://etender.up.nic.in** and **also from Department of Tourism's official website:- http/uptourism.gov.in.** starting from **18th September 2025.**
Pre-Application meeting on **08th October 2025;** 1500 Hrs. at 3rd Floor, Paryatan Bhawan, Lucknow.
Online meeting link-**https://meet.google.com/oog-nyvt-ofu**
Last date of submission of e-Applications is **13th November 2025;** 1400 Hrs.
The technical e-Applications shall be opened on **14th November 2025;** 1600 Hrs.
Amendments to this Notice Inviting Tender (NIT), if any, would be published on the website **http://etender.up.nic.in** and **uptourism.gov.in**.
The issue of this Expression of Interest (EOI) does not imply that the DoT is bound to select an applicant or appoint the applicant, as the case may be, and DoT reserves the right to reject all or any of the applications without assigning any reasons whatsoever.
For inquiry, Directorate of Tourism can be contacted through email: **pmu.uptourism@gmail.com**, **ppp.uptourism@gmail.com** or mobile **+91- 6389300504 or +91- 7607230148** or through office visit at its main office Directorate of Tourism Government of Uttar Pradesh Paryatan Bhawan, C-13, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow– 226010, Uttar Pradesh (India).

(Director General Tourism)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेर्शों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	14259477	गृह वित्त ऋण	06.09.2025	32,18,437.67/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. मनोज कुमार गर्ग 2. कमलेश पत्नी मनोज

संपत्ति का पताः मकान संख्या 244 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 30७40, 1200 वर्ग फुट या 111.52 वर्ग मीटर, खसरा संख्या का एक भाग। 291/1, 291/2, गांव में स्थितः लांबाखडा, न्यू चौकसे नगर, वार्ड क्रमांक 79, तहसीलः हुजूर, जिलाः भोपाल, मध्य प्रदेश-462001, और इसकी **सीमाएंः पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट क्रमांक 221, उत्तरः प्लॉट क्रमांक 223, दक्षिणः प्लॉट क्रमांक।225**

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	20834717	गृह ऋण	17.09.2025	20,17,517.81/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. मोहम्मद शाहिद 2. मोहम्मद सादिक

संपत्ति का पताः आइटम संख्या 1ः आवासीय शेड संख्या 158/बी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, भूखंड क्षेत्रफल 15X30 = 450 वर्ग फुट या 41.82 वर्ग फुट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, तहसीलः हुजूर, जिलाः भोपाल, मध्य प्रदेश-462038 पर स्थित, और इसकी सीमाएँः पूर्वः शेड संख्या 167, पश्चिमः रोड, उत्तरः शेड संख्या 157, दक्षिणः शेड संख्या 159
आइटम संख्या 2ः शेड संख्या 159/बी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, भूखंड क्षेत्रफल 15X30 = 450 वर्ग फुट या 41.82 वर्ग फुट।एमटीआरएस, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, तहसीलः हुजूर, जिलाः भोपाल, मध्य प्रदेश-462038 पर स्थित है, और **इसकी सीमा इस प्रकार हैः- पूर्वः शेड संख्या 166 पश्चिमः रोड, उत्तरः शेड संख्या 158, दक्षिणः शेड संख्या 160**

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड,** आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांकः 05.10.2025
स्थानः मध्यप्रदेश